290

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प कोर्ट रीवा म.प्र.

अमरेन्द्र नाथ तनय हीरामणि चतुर्वेदी साकिन बरिगवां तहसील देवसर जिला सिगरौली म.प्र.

...निगरानीकर्ता

R-1929-I/12

बनाम

शासन म.प्र. ...गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध न्यायालय कलेक्टर जिला सिगरौली प्रकरण क्र. 144/2011-12 आदेश दिनांक- 07.05.2012,

---

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता ।

अधिवक्ता मन्जुल त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत रीवा, दि० 22.5-2012

22.5.12

मान्यवर,

27.6.12

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्तगी के योग्य है ।

2. यह कि निगरानीकर्ता के पिता विवादित भूमि खसरा क्रमांक-130 रकबा जुज रकबा 2.00हे. एवं 287 रकबा3.26हे., कुल किता दो जुमला रकबा 5.26हे. मैं वर्ष 1958-59 के पूर्व से काबिज थे उक्त भूमि पैतृक भूमि थी, वह भूल वश म.प्र. शासन दर्ज हो गई थी, उसके पश्चात भी निगरानीकर्ता के पिता उक्त भूमियों मैं गैरहक कास्तकार की हैसियत से राजस्व अभिलेखों मैं काबिज इन्द्राज होते रहे ।

3. यह कि निगरानीकर्ता के पिता की मृत्यु के पश्चात प्रार्थी/निगरानीकर्ता जब अपने भूमियों का रिकार्ड निकलवाकर अवलोकन किया तब उसे ज्ञात हुआ

Xxxix(a)-BR(h)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ----------

प्रकरण कमांक.....1929–एक / 2012 निगरानी . .जिला सिंगरोली

स्थान तथा दिनॉक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एं अभिभाषकों के हस्ताक्ष
21-10-16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री गंगा प्रसाद तिवारी के तर्क पूर्व पेशी पर सुने जा चुके हैं। अनावेदक की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी कलेक्टर जिला सिंगरोली व्दारा प्रकरण कमांक 144 / 2011–12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 07–05–2012 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने उपबंदोबस्त अधिकारी सीधी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग रखी कि ग्राम बरगवॉ की भूमि सर्वे कमांक 130 रकबा 2.00 हैक्टर एंव 287 रकबा 3.26 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 5.26 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) पर 1958–59 से खेती करता आ रहा है इसके पूर्व यह भूमि उनके पिता की थी, किन्तु भूलवश शासकीय दर्ज हो गई है, इसलिये भूमि उसके नाम दर्ज की जाय। उप बंदोबस्त अधिकारी सीधी ने प्रकरण कमांक 192 अ–1 / 1998–99 पंजीबद्व किया तथा आवेदक की सुनवाई एंव जॉच उपरांत आदेश दिनांक 17–11–1999 पारित किया तथा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 57 (2) के अंतर्गत वादग्रस्त भूमि आवेदक के नाम दर्ज करने के आदेश दिये। सीधी जिले के विभाजन उपरांत सिंगरोली जिला बनने के वाद तहसीलदार देवसर ने कलेक्टर जिला सिंगरोली को उप बंदोबस्त अधिकारी सीधी के प्रकरण कमांक 192 अ–1 / 1998–99 में पारित आदेश दिनांक 17–11–1999 पर मार्गदर्शन मांगा, जिस पर से कलेक्टर सिंगरोली ने उप बंदोबस्त अधिकारी सीधी के प्रकरण कमांक 192 अ–1 / 1998–99 का वर्ष 2012 में अनियमिततायें करना मानकर अंतरिम आदेश दिनांक	

7–5–2012 से आवेदक को नोटिस जारी करने का निर्णय लिया कि क्यों न उप बंदोबस्त अधिकारी सीधी के आदेश दिनांक 17–11–1999 को निरस्त किया जाय। कलेक्टर सिंगरोली के इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया है कि उप बंदोबस्त अधिकारी सीधी के प्रकरण कमांक 192 अ–1/1998–99 में पारित आदेश दिनांक 17–11–1999 के विरूद्व कलेक्टर सिंगरोली ने 7–5–2012 को अर्थात 12 वर्ष से अधिक समय वाद स्वमेव निगरानी दर्ज करने का निर्णय लिया है जो अनुचित विलम्ब से है। आवेदक के अभिभाषक के तर्क के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 47 सहपठित 50 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि कलेक्टर सिंगरोली ने 12 वर्ष से अधिक समय वाद स्वमेव निगरानी दर्ज की है, जबकि स्वमेव निगरानी के लिये एक वर्ष का समय भी अयुक्तियुक्त माना गया है। स्पष्ट है कि जब आवेदक वादग्रस्त भूमि पर वर्ष 1958–59 से काविज होकर खेती करते चले आना मौखिक साक्ष्य एंव दस्तावेजी साक्ष्य से उप बंदोबस्त अधिकारी सीधी के समक्ष प्रमाणित कर चुका है एंव उप बंदोबस्त अधिकारी सीधी ने आवेदक के दावे को सफल मानकर निर्णीत किया है तब कलेक्टर सिंगराली व्दारा 12 वर्ष की लम्बी अवधि वाद स्वमेव निगरानी दर्ज करना उचित नहीं माना जा सकता। कलेक्टर सिंगरोली ने अंतरिम आदेश दिनांक 7–5–12 के पद एक में अंकित किया है कि खतौनी वर्ष 1958–59 एंव खसरा वर्ष 1990–91 से 1998–99 में आवेदक का नाम गैर हकदार स्वत्व में दर्ज है इसका अर्थ यह हुआ कि आवेदक वादग्रस्त भूमि पर वर्ष 1958–59 से खेती करते चले आ रहा है और ऐसे खेतिहर को उप बंदोबस्त अधिकारी के आदेश दिनांक 17–11–99 से भूमिस्वामी स्वत्व मिल जाने के 12 वाद स्वमेव निगरानी दर्ज करके भूमि वापिस लेने की कार्यवाही को उचित नहीं ठहराया जा सकता। कलेक्टर सिंगराली ने अंतरिम आदेश दिनांक 7–5–12 से स्वमेव निगरानी अनुचित विलम्ब से दर्ज की है जिसके कारण उनके व्दारा पारित अंतरिम आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि आवेदक ने ग्राम बरगवॉ की भूमि सर्वे कमांक 130 रकबा 2.00 हैक्टर एंव 287 रकबा 3.26 हैक्टर को उन्नत कृषि योग्य बनाने में टयूव वैल लगाकर काफी धन व्यय कर दिया है एंव यही भूमि आवेदक

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ----------

प्रकरण कमांक.....1929–एक/2012 निगरानी . .जिला सिंगरोली

स्थान तथा दिनॉक	कार्यवाही तथा आदेश .	पक्षकारों अभिभाष के हस्ता
	के आजीविका का सहारा है इसलिये कलेक्टर व्दारा की जा रही कार्यवाही अनुचित होने से निगरानी स्वीकार की जावे। जैसाकि उक्त पद 4 में विवेचित किया जा चुका है कि खतौनी वर्ष 1958–59 एंव खसरा वर्ष 1990–91 से 1998–99 में आवेदक का नाम गैर हकदार स्वत्व में दर्ज है इसका अर्थ यह हुआ कि आवेदक वादग्रस्त भूमि पर वर्ष 1958–59 से खेती करते चले आ रहा है भले ही उसका नाम गैर हकदार कृषक से भूमिस्वामी के रूप में अभिलेख में अभिलिखित न हुआ हो किन्तु वर्ष 1958 से आज की स्थिति में अर्थात 58 वर्ष के लम्बे अंतराल वाद खेती करके जीवन–यापन करते चले आ रहे आवेदक से भूमि वापिस लेकर शासकीय दर्ज करने की कार्यवाही संज्ञान में लेने का कलेक्टर सिंगराली व्दारा लिया गया निर्णय दिनांक 7–5–12 उचित नहीं है। 6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला सिंगरोली व्दारा प्रकरण कमांक 144/2011–12 निगरानी में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 07–05–2012 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निगरानी स्वीकार की जाती है। सदस्य	